

10/9
प्रकाशनी पैरा हुई। सायलान वकील उपस्थित
है। सायलान वकील ने बताया कि सायलान मण
झांगी प्रकरण को नहीं चलाकर नोटिस में
रखरिज चाहे है।

मह: सायलान का प्रावणत धारा
बार R.T. से उम्कानी जगदीश वराम मैदानों
मु. नं० 150/16 नोटिस में रखरिज किया जाता है।
पतावली फिसल हुमाय देकर कम्बर में कम ही।

